



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 06.11.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



जनपदीय एसओजी व थाना कबरई की संयुक्त पुलिस टीम ने

लूट की घटना का किया सफल अनावरण, लूट की सम्पत्ति के साथ 04 अभियुक्त गिरफ्तार-

गिरफ्तार अभियुक्त-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश के निकट पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु सघन चेकिंग अभियान के तहत जनपदीय पुलिस टीम को उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई, जनपदीय एसओजी व थाना कबरई की संयुक्त पुलिस टीम ने थाना कबरई में पंजीकृत मु0अ0सं0 322/22 धारा 392/506/411/120बी भादवि के वांछित अभियुक्तगण क्रमशः **1. प्रमोद कुमार सिंह उम्र करीब 21 वर्ष 2. शिवशंकर यादव उर्फ संजू उम्र करीब 22 वर्ष 3. कपिल सिंह उम्र करीब 25 वर्ष 4. पुष्पेन्द्र कुमार वर्मा उम्र करीब 23 वर्ष** को मुखबिर की सूचना पर कल दिनांक 05.11.2022 को ग्राम छानीकला थाना कबरई से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। **गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 03 अदद पारदर्शी प्लास्टिक के डिब्बों में बरामदशुदा मोबाइल एन्ड्रायड ओप्पो रंग सफेद व बरामदशुदा लूट का पैसा कुल 3700 रुपये व जामा तलाशी से प्राप्त 03 अदद मोबाइल बरामद किये गये।**

1. प्रमोद कुमार सिंह पुत्र मंगल देव सिंह उम्र करीब 21 वर्ष निवासी बबेड़ी थाना कबरई जनपद महोबा
2. शिवशंकर यादव उर्फ संजू पुत्र मूलचन्द्र यादव उम्र करीब 22 वर्ष नि0 ज्योराहा थाना जुझारनगर जनपद छतरपुर म0प्र0
3. कपिल सिंह पुत्र विजय सिंह उर्फ भोला सिंह उम्र करीब 25 वर्ष निवासी बबेड़ी थाना कबरई जनपद महोबा हाल पता लौड़ी तिगैला थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा
4. पुष्पेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र रमेश चन्द्र वर्मा उम्र करीब 23 वर्ष निवासी छानीकला थाना कबरई जनपद महोबा



गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम -

1. एसओजी टीम प्रभारी उ0नि0 राहुल परमार
2. उ0नि0 ब्रजेन्द्र सिंह एसओजी टीम
3. का0 नरेन्द्र कुमार
4. का0 अभिजीत पाण्डेय
5. का0 अशुल दुबे एसओजी टीम
1. उ0नि0 यशवन्त सिंह थाना कबरई
2. कां0 दीपेन्द्र यादव
3. कां0 शुभम जायसवाल
4. कां0 जयप्रकाश थाना कबरई



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 06.11.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना अजनर पुलिस टीम ने हत्या के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपदीय पुलिस टीम द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री उमेश चन्द्र के निकट पर्यवेक्षण में थाना अजनर प्रभारी निरीक्षक श्री शिवआसरे के नेतृत्व में गठित हुयी पुलिस टीम ने थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु.अ.सं. 214/2022 धारा 302/504/506 भादवि से सम्बन्धित हत्या के वांछित अभियुक्त राजकुमार राजपूत पुत्र प्रभुदयाल उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम अकौनी थाना अजनर जनपद महोबा को ग्राम अकौनी से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया व मुकदमा उपरोक्त की घटना में प्रयुक्त हथियार / आलाकत्ल 01 अदद कुल्हाड़ी को अभियुक्त उपरोक्त की निशादेही पर बरामद किया गया, बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी के उपरान्त जेल भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. थाना अजनर SHO श्री शिवआसरे
2. उ0नि0 दिनेश कुमार यादव
3. कां0 सूर्याश प्रताप सिंह 4. कां0 विजय निरंकारी

गिरफ्तार अभियुक्त –

राजकुमार राजपूत पुत्र प्रभुदयाल उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम अकौनी थाना अजनर जनपद महोबा

अपराध विवरण –

मु.अ.सं. 214/2022 धारा 302/504/506 भादवि थाना अजनर जनपद महोबा



@mahobapolice



SP Mahoba @mahobapolice



7839857330



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 06.11.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना अजनर पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 06.11.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री उमेश चन्द्र के निकट पर्यवेक्षण में थाना अजनर प्रभारी निरीक्षक श्री शिवआसरे द्वारा गठित की गयी उ.नि. सुखलाल यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय से सम्बन्धित मुकदमा नंबर क्रमांक 3020/2021 अन्तर्गत धारा 279/337/338 भा0द0वि0 के वारण्टी अभियुक्त अमान सिंह राजपूत पुत्र मोहन राजपूत थाना अजनर जनपद महोबा को ग्राम स्यावन से नियमानुसार गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा गया।

अभियुक्त का नाम-

अमान सिंह राजपूत पुत्र मोहन राजपूत थाना अजनर जनपद महोबा

अपराध विवरण - माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय से सम्बन्धित मुकदमा नंबर क्रमांक 3020/2021 अन्तर्गत धारा 279/337/338 भा0द0वि



@mahobapolice



SP Mahoba @mahobapolice



7839857330



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 06.11.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना अजनर पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 05 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत अवैध जुआ/सट्टा में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध गिरफ्तारी अभियान के क्रम में दिनांक 05.11.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री उमेश चन्द्र के निकट पर्यवेक्षण में थाना अजनर प्रभारी निरीक्षक श्री शिवआसरे द्वारा गठित की गयी उपनिरीक्षक सुखलाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने देखभाल क्षेत्र / गश्त व शान्ति व्यवस्था भ्रमण के दौरान मुखबिर की सूचना पर नरवारा बाईपास बहद ग्राम पठारी में ताश पत्तो से रुपये पैसों की हारजीत की बाजी लगाकर सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेल रहे 05 नफर अभियुक्तों क्रमशः 1.पवन सोनी पुत्र स्व0 रामस्वरूप सोनी उम्र करीब 33 वर्ष 2. मनसाराम कुशवाहा पुत्र रतीराम कुशवाहा उम्र करीब 45 वर्ष 3.नरेश रैकवार पुत्र हरचरन रैकवार उम्र करीब 26 वर्ष 4.मन्दू उर्फ परमलाल अहिरवार पुत्र बरजोरा अहिरवार उम्र करीब 34 वर्ष निवासीगण ग्राम पठारी थाना अजनर जनपद महोबा 5.हरगोविन्द राजपूत पुत्र जानकी प्रसाद राजपूत उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम पचवारा थाना नौगांव जनपद छतरपुर म0प्र0 जिनके कब्जे से

मालफड़ 650/- रुपये, जामा तलाशी 850/- रुपये व 52 अदद ताश पत्ते बरामद करते हुये नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, इस सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु.अ.सं. 215/2022 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. उपनिरीक्षक सुखलाल थाना अजनर जिला महोबा।
2. कां. हवन कुमार 3. कां. आशीष कुमार 4. कां. अरविन्द कुमार





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 06.11.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में शांति एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस बल द्वारा पैदल गस्त कर आम-जनमानस को दिलाया गया सुरक्षा का भरोसा।



आज दिनांक **06.11.2022** को पुलिस अधीक्षक महोबा सुधा सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम निकट पर्यवेक्षण में जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रों में संवेदनशील स्थानों पर पैदल गस्त करते हुए स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने, अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी तथा जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-

स्टैंड, रेलवे स्टेशन ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करते हुए यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गई।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

यातायात नियमों के उल्लंघन पर **216** ई-चालान किये गये।

